न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

(1)

प्रकरण क्रमांक अपील 6334/2018/शिवपुरी/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 के द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 524/अपील/2017—18.

....

1—मुस0 मैंदाबाई वेबा निब्बू आदिवासी
2—जामौतीबाई पुत्री स्व0 निब्बू आदिवासी
3—सुनीता बाई पुत्री स्व0 निब्बू आदिवासी
4—सगुन उर्फ रामसखी पुत्री स्व0 निब्बू आदिवासी
समस्त निवासीगण ग्राम मुडखेड़ा
तहसील व जिला शिवपुरी म0 प्र0

———अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

———प्रत्यर्थी

श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, एवं
श्री जी0 पी0 नायक, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री राजीव शर्मा, अभिभाषक शासन प्रत्यर्थी

....

आदेश
(आज दिनांक 01/04/2019 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण कमांक 66/अ—21/2014—15 पर दर्ज किया । अपीलार्थी श्रीमती मैंदाबाई पत्नी स्व0 निब्बू

आदिवासी एवं अन्य निवासी ग्राम मुडखेड़ा तहसील व जिला शिवपुरी का ग्राम मुडखेडा में स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 174 रकवा 0.530 है0 सर्वे कमांक 214 रकवा 0.340 है0 एवं सर्वे कमांक 290 रकबा 0.590 है0 को विकय अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें से उक्त ग्राम की सर्वे कमांक 174 रकवा 0.530 है0 सर्वे कमांक 214 रकवा 0.340 है0 कृषि भूमि अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.12.2011 से कय की गई थी। कलेक्टर जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 17.10.17 द्वारा मात्र अपीलार्थी का आवेदन इसलिये निरस्त कर दिया गया कि पुत्र किस बीमारी से ग्रस्त है और बीमारी में कितना पैसा लगेगा। इससे दुखित होकर अपीलार्थीगण द्वांरा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 0524/अपील/2017–18 पर दर्ज किया गया तथा उनके द्वारा सर्वे कमांक 174 रकवा 0.530 है0 एवं सर्वे कमांक 214 रकवा 0.340 है0 विकय करने की स्वीकृति दी गई। सर्वे कमांक 290 रकबा 0.590 है0 की अनुमति इसलिये नहीं दी थी कि वह अपीलार्थीगण की शासन द्वारा दी गई पट्टाधारित भूमि है। इसी से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण को वाद भूमि का लगभग 30 वर्ष पूर्व शासन से पटट्रा प्राप्त होने के पश्चात भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने से उसे उक्त भूमि उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है उसे भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। तर्क में यह भी कहा गया है कि अपीलार्थीगण को कुछ वर्षो से कृषि में घाटा हो जाने से तथा मात्र एक पुत्र की केंसर से मृत्यु होने के कारण काफी पैसा खर्च होने से आर्थिक तंगी एवं कर्ज होने के कारण गांव छोड़कर शिवपुरी में निवास कर रहे हैं। तर्क में यह भी बताया गया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के माध्यम से तहसीलदार शिवपुरी से बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्राप्त किया गया। जिसमें लेख किया गया कि ग्राम कृषक मुडखेड़ा स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 174 रकवा 0.530 है0 सर्वे कमांक 214 रकवा 0.340 है0 सर्वे कमांक 290 रकवा 0.590 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.460 है0 के संबंध में तहसीलदार शिवपुरी द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदन दिनांक 23.12.15 से प्रश्नाधीन भूमि को विकय किये जाने की अनुशंसा की गई एवं प्रकरण में अनुविभागीय

अधिकारी शिवपुरी के माध्यम से अनुशंसा सहित प्रतिवेदन कलेक्टर जिला शिवपुरी को प्राप्त हुआ। जो उनके द्वारा दिनांक 17.10.17 निरस्त करने में महान भूल की गई है। तर्क में यह भी बताया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अनुबंध बीरेन्द्र शर्मा पुत्र रामचरण शर्मा निवासी मुडखेड़ा तहसील व जिला शिवपुरी से दिनांक 2.5.16 को किया गया है जिसमें 1,00,000/—रूपये एडवांन्स में प्राप्त किये जा चुंके हैं तथा शेष राशि उप पंजीयक के समक्ष दिये जावेंगे। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि सर्वे कमांक 174 रकवा 0.530 है0 सर्वे कमांक 214 रकवा 0.340 है0 की स्वीकृति आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.18 को प्रदाय की गई है शेष **सर्वे कमांक 290 रकवा 0.590 है0** की विकय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया है।

4—शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश एवं आयुक्त ग्वालियर का आदेश उचित एवं सही है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। शासन द्वारा पटट् की भूमि जीवन यापन करने हेतु प्रदाय की गई है न कि विकय करने हेतु। अतः अपीलार्थीगण की अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5—उभयपक्ष के अधिवक्तगण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 23.12.15 को अनुशांसा सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की गई है, कलेक्टर जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 17.10.17 निरस्त कर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 12.11.18 द्वारा सर्वे कमांक 174 रकवा 0.530 है0 एवं सर्वे कमांक 214 रकवा 0.340 है0 विकय विकय करने की स्वीकृति दी गई, लेकिन जितनी भूमि की स्वीकृति दी गई है उससे प्राप्त धनराशि से कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, क्यों कि अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क में यह बल मिलता है कि उसके पुत्र की मृत्यु कैंसर से हुई है और काफी धन व्यय हुआ है, इसलिये सर्वे कमांक 290 रकबा 0.590 हैक्टेयर भूमि की विकय की अनुमति अति आवश्यकता थी जिससे प्राप्त धनराशि से कर्जा भी चुकता करना है, तथा अपीलार्थी स्वयं बृद्व होने के कारण स्वयं के खर्चे

हेतु भी धन की आवश्यकता है। **म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पटट्‌दार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विकय नहीं करेगा** और इसी प्रतिबंध के कारण अपीलार्थीगण ने कलेक्टर जिला शिवपुरी से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विकय की अनुमति मांगी है। 1999 राजस्व निर्णय पेज 363 मोहन आदि विरूद्व म0 प्र0 शासन में निम्न वयवस्था दी है:–

Land revenue code 1959 (M. P.) – SS. 158 (3) and 165 (7-b) (as inserted in 1992) – object and reasons of—a Bhumiswami holding land from state Government; collector or any other allotement officer—has been prevented to transfer such land within 10 years of allotment—transfer made there after is valid.

उपरोक्त दी गई न्याय व्यवस्थानुसार कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश निरस्त करने में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। लेकिन अपीलार्थीगण की समस्या को देखते हुये जैसे इकलोते पुत्र की मृत्यु कैंसर से होने के कारण अपीलार्थीगण के पास ऐसा कोई साधन नहीं बचता है जिससे वह अपना कर्जा चुकता कर सके तथा बृद्व अवस्था में अपना जीवन यापन कर सके। अपीलार्थीण द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है। राजस्व अधिकारियों को चाहिये कि ऐसे मामलों में कृषक को सहायता करें, जिससे वह अपनी भूमि विकय करने के पश्चात अपनी समस्याओं का हल कर सके, इतनी तो स्वतंत्रता होनी चाहिये। प्रकरण में किसी प्रकार के छल कपटपूर्ण गतिविधियां परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थीगण की इन समस्याओं को देखते हुये जितनी भूमि विकय करने की स्वीकृति मांगी थी, आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा उतनी भूमि विकय करने की स्वीकृति नहीं दी गई, सर्वे कमांक 290 रकबा 0.590 है0 की भूमि विकय की स्वीकृति निरस्त करने में त्रुटि की गई है। जिससे उनका आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश है। अतः आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 12.11.18 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 0524/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 12.11.18 द्वारा भूमि सर्वे कमांक 174 रकवा 0.530 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 214 रकवा 0.340 हैक्टेयर कुल रकवा 0.870 हैक्टेर की स्वीकृति दी गई है वह आदेश का अंश स्थिर रखते हुये शेष आदेश निरस्त किया जाता है तथा ग्राम मुडखेड़ा तहसील व जिला शिवुपरी स्थित सर्वे कमांक 290 रकबा 0.590 हैक्टेयर की भूमि विकय की अनुमति इस इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक तहसील व जिला शिवपुरी को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैकिंग से अपीलार्थी के खाते में जमा की जावेगी। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर